नैशनल टेस्टिंग एजेंसी

पहली मंजिल, एनएसआईसी-एमडीबीपी बिल्डिंग,

ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110020

स. दिनांक 16-8-2024

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश

संदर्भ: (1) भारत का राजपत्र सं. 18 दिनांक 23.04.2013

(2) जीआईएल मुख्यालय का नोट सं. GILHQ/CON/SHW/23 दिनांक: 07.04.2023

कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (अधिनियम 14, 2023) एतदद्वारा जनहित मे सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है

अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाए निम्नानुसार है।

1. यौन उत्पीड़न

1.1 "यौन उत्पीड़न" मे निम्नलिखित मे से एक अथवा एक से अधिक अशोभनीय कृत्य अथवा आचरण (चाहे व प्रत्यक्ष हो या साकेतिक) सम्मिलित है, जैसे-

(क) शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़; या

(ख) यौन अनुग्रह के लिए मॉग अथवा आग्रह; या

(ग) अश्लील फब्तियाँ कसना; या

(घ) अश्लील चित्र/साहित्य दिखाना; या

(ङ) अश्लील/यौन प्रकृति का कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण

1.2 यहाँ यह ध्यान दिया जाये कि "यौन उत्पीड़न" की उपयुक्त परिभाषा व्यापक नहीं है। संदर्भों एवं परिस्थितयों के अनुरूप अन्य कोई भी कर्ता-कर्त यौन उत्पीड़न हो सकता है ।

1.3 अन्य परिस्थितयों के साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितयों में से कोई भी कृत्य अथवा व्यवहार यदि यौन आचरण से जुड़ी हुई या संबधित हो तो वह संदर्भ और परिस्थितयों के अनुरूप यौन उत्पीड़न हो सकता है।

(क) रोजगार अथवा कार्य के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से हितकारी व्यवहार का वचन देना; या

(ख) रोजगार अथवा कार्य के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से अहितकारी व्यवहार का वचन देना; या

(ग) रोजगार अथवा कार्य के वर्तमान अथवा भविष्य की परिस्थितयों के प्रति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से भयभीत करना; या

(घ) महिलाओ के रोजगार अथवा कार्य मे व्यवधान उतपन करना अथवा धमकी देना अथवा अपमानिक अथवा वैमनस्य का कार्य वातावरण उतपन करना; या

(ङ) महिलाओ के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अमयादित आचरण ।

2. शिकायत समिति

मुख्यालय मे आंतरिक शिकायत समिति के निम्नलिखित सदस्य है

(क) श्रीमती साधना पराशर	अध्यक्ष
(ख) श्रीमती शुची राय	सदस्य
(ग) सुश्री मौशूमी सरकार	सदस्य
(घ) सुश्री सुनीता कौंडल	सदस्य
(ङ) श्री मोहित शर्मा	सदस्य सचिव
(च) सदस्य (NGO)	

3. शिकायत

3.1 यौन उत्पीड़न से पीड़ित कोई भी महिला की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर आंतरिक शिकायत समिति को लिखित शिकायत कर सकती है।

3.2 विशेष परिस्थितयों जैसे पीड़ित महिला के शारीरिक या मानसिक अक्षमता अथवा मृत्यु की दशा मे उसके वैद् उतराधिकारी अथवा अन्य कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति पीड़ित महिला की और से शिकायत दर्ज करा सकता है।

3.3 पीड़ित महिला के अनुरोध पर, शिकायत समिति मामले को परस्पर समझोंते से निपटाने हेतु कदम उठा सकती है। ऐसे मामले मे, आगे किसी और जांच की कार्यवाही की जा सकती है।

3.4 फिर भी, ऐसे मामलों मे जहा सुलह के द्वारा समझोते की शर्तों तथा परिस्थितयों को अनुपालन प्रतिवादी द्वारा न किया जा रहा हो, जांच की कार्यवाही की जा सकती है।

3.5 आंतरिक शिकायत समिति उन मामलों मे भी जांच कार्यवाही कर सकती है जिनमे सुलह के द्वारा समझोंते की शर्तों तथा परिस्थितयों का अनुपालन प्रतिवादी द्वारा न किया गया हो ।

14/7/21

(वरिष्ट निदेशक)

प्रतिलिप:

1. आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य (कार्यालय आदेश की प्रति)
2. अनुभाग प्रमुख/आईटी-मुख्यालय की वेबसाइट मे प्रकाशन हेतु (कार्य आदेश की प्रति)
3. मुख्यालय के सभी एवं अनुभागाधयक्ष
4. सभी अधिकारी/कर्मचारी